

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बमुकद में ईव्त्दाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

ण संख्या :- 45/2025

पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

हर सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी बख्तावरसिंहवाली तहसील संगरिया।

बनाम

नक्षत्र सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी ढाणी बख्तावरसिंहवाली तहसील संगरिया।

सरजीत सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति नि. ढाणी बख्तावरसिंहवाली तहसील संगरिया।

जन्तासिंह उर्फ गुरजन्त सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी ढाणी बख्तावरसिंहवाली तहसील संगरिया।

कालासिंह पुत्र धरमसिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

बडतसिंह पुत्र हरीसिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

जंगू पुत्र रतना जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

दयालसिंह पुत्र बुटासिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

नरसिंह पुत्र तोतासिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

प्रेमसिंह पुत्र बुटासिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

पालसिंह पुत्र तोतासिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

बगु पुत्र रतना जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

बाजासिंह पुत्र तोतासिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

भजनसिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

मंहगासिंह पुत्र धरमसिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

सरजीत कौर पत्नी विचित्र सिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति नि.लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 6-2-2026

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई करु हमारे बहाजरी श्री राजेश बुढानियां वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री .....जानिब मुदायला पेश करु हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री अनुसार दी जाती है:- चक 8 एमजेडी

नक्षत्र सिंह पुत्र कृपालसिंह जाति कुम्हार सा.ढाणी बख्तावरसिंहवाली प.न. 153/188 मु.न. 62 किला नं. 21/0.253 है.

जन्तासिंह उर्फ गुरजन्तसिंह, सरजीतसिंह पि. जवाहरसिंह जाति कुम्हार सा.ढाणी बख्तावरसिंहवाली बहिब प.न. 153/188 मु.न. 62 किला नं. 22/0.253 है.

जवाहर सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति कुम्हार सा.ढाणी बख्तावरसिंहवाली प.न. 153/188 मु.न. 62 किला नं. 23/0.253 है.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है पर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया को अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/87 दिनांक 12.01.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज..........मुब्लिक..........बाबत..........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....6-2-2026.....को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईब्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

दासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

करण संख्या :- 45/2025

द पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

जवाहर सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी बख्तावरसिंहवाली तहसील संगरिया।

बनाम

नक्षत्र सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी ढाणी बख्तावरसिंहवाली तहसील संगरिया।

सरजीत सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति नि. ढाणी बख्तावरसिंहवाली तहसील संगरिया।

जन्तासिंह उर्फ गुरजन्त सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी ढाणी बख्तावरसिंहवाली तहसील संगरिया।

कालासिंह पुत्र धरमसिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

चडतसिंह पुत्र हरीसिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

जंगू पुत्र रतना जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

दयालसिंह पुत्र बुटासिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

नरसिंह पुत्र तोतासिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

प्रेमसिंह पुत्र बुटासिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

10. पालसिंह पुत्र तोतासिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

11. बगु पुत्र रतना जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

12. बाजासिंह पुत्र तोतासिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

13. भजनसिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

14. मंहगासिंह पुत्र धरमसिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति निवासी लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

15. सरजीत कौर पत्नी विचित्रा सिंह जाति कुम्हार सिख प्रजापति नि. लीलावाली (पदमपुरा) तहसील संगरिया।

तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 6-2-2026

डिक्री



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई हमारे बहाजरी श्री राजेश बुढानियां वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री .....जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 8 एमजेडी

1. नक्षत्र सिंह पुत्र कृपालसिंह जाति कुम्हार सा.ढाणी बख्तावरसिंहवाली प.न. 153/188 मु.न. 62 किला नं. 21/0.253 है.

2. जन्तासिंह उर्फ गुरजन्तसिंह, सरजीतसिंह पि. जवाहरसिंह जाति कुम्हार सा.ढाणी बख्तावरसिंहवाली. बहिब प.न. 153/188 मु.न. 62 किला नं. 22/0.253 है.

3. जवाहर सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति कुम्हार सा.ढाणी बख्तावरसिंहवाली प.न. 153/188 मु.न. 62 किला नं. 23/0.253 है.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया को अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/87 दिनांक 12.01.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज........मुब्लिक........बाबत........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....6-2-2026.....को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया